

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10906/2018

नवीन यादव उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र श्री सुभाष चंद यादव, निवासी वीपीओ अनंतपुरा तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. संयोजक, आरपीएमटी-2009 रजिस्ट्रार के माध्यम से, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
3. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

- - - - उत्तरदाता

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10908/2018

रविकांत निर्वाण उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र श्री ओंकार मल, निवासी वार्ड नंबर 4, संस्कृत स्कूल के पास, स्वामी मोहल्ला डाकघर तारानगर, जिला चूरु।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10904/2018

भूपेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र श्री गोपाल सिंह राठौड़, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 22, सैनिक कॉलोनी, नागौर, राजस्थान

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. संयोजक, आरपीएमटी-2009, रजिस्ट्रार के माध्यम से, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302003।
3. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10905/2018

निशांत महार पुत्र डॉ. श्री एम.एस. महार, निवासी सी-18-ई मिग मायापुरी, नई दिल्ली।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10907/2018

प्रशांत महार पुत्र डॉ. श्री एम.एस. महार, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सी-18-ई, एम.आई.जी मायापुरी, नई दिल्ली।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

- - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10909/2018

धर्मेन्द्र ओला पुत्र श्री सूबे सिंह ओला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी शांति नगर, राजगढ़ रोड, पिलानी।

- - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. प्राचार्य, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

- - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10910/2018

निकिता चौहान पुत्री श्री जुगल चौहान, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ए-259, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान

- - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. संयोजक, आरपीएमटी-2009 रजिस्ट्रार के माध्यम से, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
3. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10911/2018

चन्द्र शेखर मीणा पुत्र श्री राम प्रसाद मीणा, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी मकान नं. 573, गेट नं. 7, रजत गढ़ कॉलोनी, नैनवां रोड बूंदी

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
2. संयोजक, आरपीएमटी-2009 रजिस्ट्रार के माध्यम से, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर-302033
3. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

- - - - उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13438/2018

ओम प्रकाश पालीवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल पालीवाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान।

- - - - याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के माध्यम से, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।
2. परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार के माध्यम से, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर-18, कुंभा मार्ग, प्रताप नगर, टोंक रोड जयपुर, राजस्थान।
3. रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।

- - - - उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	: श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री संदीप सिंह शेखावत, श्री अक्षय दत्त शर्मा, श्री रिनेश गुप्ता द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए	: श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता सुश्री धृति लड्डा के साथ - राज्य के लिए श्री एम.ए. खान सुश्री रेखा जैन और सुश्री शमा खान के साथ - आर.यू.एच.एस. के लिए श्री सारांश सैनी श्री अर्नव सिंह श्री संदीप पाठक के लिए श्री निखिल सैनी - आर.यू.एच.एस. के लिए श्री रचित शर्मा - आर.यू.एच.एस. के लिए श्री यश जोशी - आर.यू.एच.एस. के लिए

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन
निर्णय

आरक्षित तिथि:: 14/11/2024उच्चारण:: 3/12/2024समाचार-योग्य:

1. परस्पर जुड़े विवाद, समान तथ्यात्मक विवरण और संबंधित अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए, इन याचिकाओं को एक साथ मिला दिया गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका न्यायनिर्णयन किया जाता है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10906/2018, जिसका शीर्षक नवीन यादव बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है, को मुख्य याचिका माना गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, इन याचिकाओं के वर्तमान समूह पर लागू होगा।

2. मुख्य याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

"i) दिनांक 17.11.2017 (अनुलग्नक 13) के आरोपित आदेश को कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और याचिकाकर्ता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के भविष्य के अध्ययन के लिए अध्ययन करने का हकदार घोषित किया जाए और यदि याचिकाकर्ता इस एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसे इसकी डिग्री प्रदान की जा सकती है।

ii) याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित कोई भी परिणामी आदेश रद्द किया जाए तथा उसे रद्द किया जाए।"

3. विवादास्पद इतिहास, लम्बी समय-सीमा और सुविधा के लिए, उक्त विषय-वस्तु/विवाद के संबंध में याचिकाकर्ताओं या समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाएं नीचे सारणीबद्ध की गई हैं:

याचिका का शीर्षक और प्रमाण-पत्र	अवलोकन
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9952/2009 जिसका शीर्षक झाबर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य है।	दिनांक 31.03.2011 के आदेश के तहत 16 अभ्यर्थियों/छात्रों का प्रवेश रद्द करने और एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7248/2011 जिसका शीर्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है।	दिनांक 31.05.2011 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले व्यक्तियों के प्रवेश को रद्द करने के निर्देश पर रोक लगा दी गई थी।
डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 595/2014 जिसका शीर्षक भूपेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है।	दिनांक 25.04.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
डी.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 133/2016 जिसका शीर्षक भूपेन्द्र प्रताप सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है।	दिनांक 17.09.2016 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई तथा दिनांक 25.04.2014 के आदेश को वापस लिया गया तथा संशोधित किया गया।
एस.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 222/2016 जिसका शीर्षक भूपेंद्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है।	दिनांक 07.12.2016 के आदेश के तहत पुनर्विचार की दलील खारिज कर दी गई।
डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 385/2017 जिसका शीर्षक ओम प्रकाश पालीवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है।	दिनांक 30.05.2017 के एकपक्षीय आदेश द्वारा उक्त अपील का निपटारा कर दिया गया।

मुकदमे की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि/समय-सीमा

4. वर्तमान याचिकाएं दिनांक 17.11.2017 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके तहत प्रतिवादी-आरयूएचएस ने राजस्थान प्री-मेडिकल टेस्ट, 2009 में नकल करके धोखाधड़ी करने के अपराध के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता (ओं) को दिए गए प्रवेश को रद्द कर दिया था।

5. याचिकाकर्ता(ओं) ने राजस्थान प्री-मेडिकल टेस्ट, 2009 (जिसे आगे आरपीएमटी कहा जाएगा) में भाग लिया और सफल घोषित किए गए। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता(ओं) को उनके द्वारा प्राप्त रैंक के अनुसार मेडिकल कॉलेज आवंटित किए गए। तत्पश्चात, वर्ष 2011 में, जब याचिकाकर्ता(ओं) उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे थे, एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि न्यायालय ने एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक निर्णय पारित किया था जिसमें आरपीएमटी, 2009 में नकल करके अपराध करने वाले 16 छात्रों के नाम शामिल थे।

6. अतः, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9952/2009, जिसका शीर्षक **झाबर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** है, में दिनांक 31.03.2011 को पारित निर्णय के तहत, उक्त 16 छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात, दिनांक 20.04.2011 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनका उत्तर याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 30.04.2011 को प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा दिनांक 12.05.2011 को पारित आदेश द्वारा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, याचिकाकर्ताओं को दिए गए प्रवेश को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

7. दिनांक 12.05.2011 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7248/2011, **भूपेंद्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य**, दायर की, जिसमें दिनांक 31.05.2011 के आदेश द्वारा न्यायालय ने

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और उक्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन जारी रखने की अनंतिम अनुमति प्रदान की थी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, इन रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:- (i) प्रतिवादियों को निम्नलिखित एजेंसियों में से किसी से भी रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है, जो निम्नानुसार हैं -

(क) केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) नई दिल्ली

(बी) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सेक्टर 14, रोहिणी, दिल्ली - 110085

(ग) केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, उस्मानिया संस्थागत क्षेत्र, हैदराबाद।

प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के आरोप के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण सामग्री प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा ऊपर नामित किसी भी एजेंसी को भेजी जाएगी और उचित निगरानी और समन्वय के लिए, आईजी अपराध ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त उद्देश्य के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया जाता है। यदि रिकॉर्ड अन्यत्र न्यायालय में मौजूद है, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) प्रतिवादी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के साथ मिलकर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करेगा। रिपोर्ट, जिस एजेंसी को सौंपी गई है, वह सामग्री प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर सकती है। जिस एजेंसी को कार्य सौंपा गया है, वह सामग्री की जाँच करेगी और याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर और हस्तलिपि की जाँच के बाद अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट देगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी की है या नहीं।

(iii) यदि रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के प्रतिकूल आती है तो आक्षेपित आदेश प्रभावी हो जाएगा और इस प्रकार प्रवेश रद्द माना जाएगा, यदि रिपोर्ट अनुकूल आती है तो आक्षेपित आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा बल्कि इसे अपास्त माना जाएगा।

(iv) प्रतिवादी विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह पी.के. सिंह समिति की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे ताकि जाँच के क्षेत्र देखे जा सकें, हालाँकि इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जाँच रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए। पी.के. सिंह समिति की रिपोर्ट केवल उनकी सुविधा के लिए जाँच के क्षेत्र का पता लगाने के लिए दी जाएगी।

(जोर दिया गया)

8. दिनांक 31.05.2011 के आदेश के विरुद्ध, डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 595/2014, भूपेन्द्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य, प्रस्तुत की गई और दिनांक 25.04.2014 के निर्णय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

"उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन हैं और दायर अपीलों का कोई महत्व नहीं है। इस आदेश द्वारा, रिट याचिकाओं का निपटारा केवल वैज्ञानिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण के लिए कुछ निर्देशों के साथ किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निर्देश के अनुपालन में, केवल यह पता चलेगा कि यह अपीलकर्ताओं के लिए प्रतिकूल है या नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को आज दी गई चुनौती केवल अपीलकर्ताओं की आशंका के आधार पर है।"

(जोर दिया गया)

9. तत्पश्चात, निर्णय ऋणियों ने डी.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 133/2016, जिसका शीर्षक भूपेन्द्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य था,

प्रस्तुत की। दिनांक 17.09.2016 के निर्णय द्वारा दिनांक 25.04.2014 के आदेश (एसबी आदेश के विरुद्ध एसएडब्ल्यू में पारित) को वापस लिया गया और संशोधित किया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“परिणामस्वरूप, सभी विशेष अपीलों का निपटारा अपीलकर्ताओं को निचली अदालत के समक्ष अपनी समीक्षा याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है। एकल न्यायाधीश, यदि ऐसा सलाह दी जाती है और जहां तक समीक्षा याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उनकी समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और अपीलों के बैच में दिनांक 25.01.2014 को पारित खंडपीठ के आदेश को वापस लिया जाता है और उनकी विशेष अपीलों को मूल संख्या में बहाल किया जाता है और वर्तमान आदेश द्वारा निचली अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है। एकल न्यायाधीश, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो शीघ्र निपटान की अपेक्षा के साथ।”

(जोर दिया गया)

10. उक्त निर्णय में दी गई स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने एस.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 222/2016, भूपेंद्र प्रताप सिंह राठौर बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य, दायर की। उक्त समीक्षा याचिका को दिनांक 07.12.2016 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

“उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैं इस आधार पर आदेश की समीक्षा करने में असमर्थ हूँ कि मामले को स्वतंत्र राय प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने हेतु सहमति नहीं दी गई थी, जबकि सहमति दी गई थी। यदि कोई व्यक्ति छद्मवेश में लिप्त है, तो उसे परिणाम भुगतने चाहिए और इसके लिए, न्यायालय भी रिपोर्ट माँगने का आदेश पारित कर सकता था। अति-तकनीकी बातें न्याय प्रशासन के आड़े नहीं आनी चाहिए, अन्यथा याचिकाकर्ताओं के प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद, यदि उन्हें पाठ्यक्रम में जारी रखने और उन पर आपराधिक मामला न चलाने का

निर्देश दिया जाता है, तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिकूल रिपोर्ट और छद्मवेश के मामले के बावजूद, न्यायालय ने अति-तकनीकी बातों के आधार पर न्याय प्रशासन को विफल करते हुए किसी को बचा लिया है। उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती।"

(जोर दिया गया)

11. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 07.12.2016 के निर्णय को चुनौती देते हुए डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 385/2017, जिसका शीर्षक ओम प्रकाश पालीवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य है, प्रस्तुत की। दिनांक 30.05.2017 के एकपक्षीय आदेश (बिना नोटिस जारी किए) द्वारा उक्त अपील का निपटारा कर दिया गया। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:

"5. हमारी सुविचारित राय में, 2014 के पूर्व निर्णय के मद्देनजर, मूल आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और इसलिए, हमने समीक्षाधीन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सहमति ली थी, लेकिन इससे अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति हुई है।

6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, बिना कोई नोटिस जारी किए, हम निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं:-

i) यह स्वीकार किए बिना कि सहमति ली गई थी, पक्षकारों को किसी ऐसे मामले में नहीं डाला जा सकता है, जिससे आदेश को चुनौती देने का उनका अधिकार छिन जाए।

ii) इस दृष्टिकोण से, यदि सहमति दे दी गई है, तो भी अपीलकर्ता के लिए उचित कार्यवाही के माध्यम से फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को चुनौती देना खुला होगा।

7. उक्त कार्यवाही में सफलता मिलने पर, स्पष्टीकरण के बाद पारित परिणामी आदेश को चुनौती देने का भी विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, अपीलें समाप्त हो गई हैं।

(जोर दिया गया)

याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा प्रस्तुतियाँ

12. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था कि उपर्युक्त निर्णयों का उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी-आरयूएचएस ने दिनांक 17.11.2017 को विवादित आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता(ओं) का प्रवेश इस कारण से रद्द कर दिया गया कि याचिकाकर्ता(ओं) ने आरपीएमटी, 2009 में प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी का अपराध किया है। आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश ऑडी अल्टरम पार्टम के मूल सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के अन्य सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 26.02.2015 की एफएसएल रिपोर्ट, बिना किसी उचित औचित्य के और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों का पालन किए, सतही ढंग से प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों और अव्यवस्थित आचरण के मामलों से निपटने के लिए नियमों के अध्यादेश 152(3) के अनुसार, याचिकाकर्ता(ओं) की उक्त पाठ्यक्रम से उम्मीदवारी/छात्रवृत्ति को रोकने/रद्द करने का सक्षम और उपयुक्त प्राधिकारी सिंडिकेट होगा, न कि रजिस्ट्रार। अतः, यह निष्कर्ष

निकाला जा सकता है कि आक्षेपित आदेश एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।

14. विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि आज तक याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं या समान स्थिति वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दोषसिद्धि आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः, प्रतिवादी-आरयूएचएस ने उक्त आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की है।

15. क्रमशः, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भिन्न हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को याचिकाकर्ता(ओं) के प्रवेश को रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है, खासकर जब याचिकाकर्ता(ओं) की आयु आज की तारीख में काफी हो गई है और उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को वर्षों बीत जाने के बाद उक्त परीक्षा की ओएमआर शीट पर अंकित हस्ताक्षरों और अंगूठे के निशानों के साथ सह-संबंधित नहीं किया जा सकता है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि यह विधि की एक स्थापित स्थिति है कि विशेषज्ञों की राय पुष्टिकारक साक्ष्य की श्रेणी में आती है और इसे ठोस साक्ष्य या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा, उक्त एफएसएल रिपोर्ट वर्ष 2015 में प्रस्तुत की गई थी और कथित अपराध वर्ष 2009 से संबंधित है। इसलिए, यह विलंब और लापरवाही के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आज की तिथि तक याचिकाकर्ताओं ने अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, कुछ याचिकाकर्ताओं ने उच्च अध्ययन/विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए नामांकन भी करा लिया है और कुछ याचिकाकर्ता न केवल राजस्थान राज्य में, बल्कि महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी चिकित्सा अधिकारी के रूप

में सेवाएँ दे रहे हैं। अपनी डिग्रियाँ पूरी करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं ने न केवल अपनी युवावस्था उक्त पेशे में बिताई है, बल्कि उन पर अपने परिवारों की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं।

18. अब तक दिए गए तर्कों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, यूपी इलाहाबाद बनाम घनश्याम दास गुप्ता और अन्य में एआईआर 1962 एससी 1110 में बताए गए अनुपातों पर भरोसा रखा था; बशीरा बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम और अन्य 2020 (11) एससीसी 174 में रिपोर्ट किया गया; योगरानी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा - आपराधिक अपील संख्या 477/2017, 23 सितंबर, 2024 को तय किया गया; राजेंद्र प्रसाद माथुर और अन्य बनाम कर्नाटक विश्वविद्यालय और अन्य 1986 (सप्लीमेंट) एससीसी 740 में रिपोर्ट किया गया; सरस्वती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य - रिट याचिका (सी) संख्या 40/2018, 24 फरवरी, 2021 को तय किया गया; सुश्री लुबन शौकत मुजावर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य - रिट याचिका संख्या 132/2017 तथा अन्य संबंधित रिट याचिकाओं पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 09 मई, 2024 के आदेश द्वारा निर्णय दिया गया।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुतियाँ

19. अब तक प्रस्तुत तर्कों के विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान याचिकाएँ न्यायालय से दिनांक 17.11.2017 के आदेश को रद्द करने के निर्देश देने की माँग करते हुए दायर की गई हैं, जो उसी विषय-वस्तु के लिए याचिकाकर्ता(ओं) को किए गए पूर्व संचार का एक परिणामी संचार है। फिर भी, याचिकाकर्ता(ओं) ने पी.के. सिंह समिति की रिपोर्ट और प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा पारित पूर्व आदेशों को चुनौती नहीं दी है। अतः, उक्त प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है और वर्तमान याचिकाएँ मान्य नहीं हैं।

20. विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया है कि ये याचिकाएँ पूर्व-न्यायिकता के सिद्धांत द्वारा वर्जित हैं, क्योंकि ये पक्षकार समान विषय-वस्तु और विचाराधीन विषय के विरुद्ध पूर्ववर्ती मुकदमों में शामिल थे। आगे तर्क दिया गया कि 20.04.2011 के आदेश द्वारा मुकदमे के सबसे पहले चरण अर्थात् एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9952/2009 (सुप्रा) में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, और तत्पश्चात याचिकाकर्ता(ओं) ने उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में 30.04.2011 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। अतः, इस विलम्बित मोड़ पर, याचिकाकर्ता(ओं) यह दावा नहीं कर सकते कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता(ओं) को अपने कथनों को प्रमाणित करने का उचित अवसर नहीं दिया है।

21. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चिकित्सा पेशा और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन एक महान पेशा/पेशेवर पाठ्यक्रम है और यह कुछ निश्चित आचार संहिताओं, सिद्धांतों और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ-साथ असाधारण ज्ञान द्वारा शासित होता है, क्योंकि यह सीधे मानव जीवन से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया कि सीटों का उक्त आवंटन और पाठ्यक्रम की निरंतरता राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा परिषद के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाती है।

22. इसके अतिरिक्त, यदि याचिकाकर्ता(यों) या याचिकाकर्ता(यों) के समान स्थिति वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी उनके द्वारा अपनाए गए कुछ कदाचारों और अनुचित प्रथाओं; उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी; गलत बयानी और प्रतिरूपण के कारण दूषित/वापस ले ली जाती है/रद्द कर दी जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों/उम्मीदवारों/छात्रों के पक्ष में कोई भी इक्विटी नहीं ली जा सकती है।

23. फिर भी, यदि अभियुक्त-याचिकाकर्ता(ओं) को ऐसे लाभ दिए जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों/छात्रों के अधिकारों का हनन होगा जिन्होंने निष्पक्ष, कानूनी और अनुशासित तरीके से

उक्त परीक्षा दी है। साथ ही, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अपराध को सार्वजनिक महत्व की परीक्षाओं में प्रवेश का आसान रास्ता नहीं माना जाना चाहिए।

24. विद्वान अधिवक्ता ने बार-बार इस तथ्य पर जोर दिया कि दिनांक 17.11.2017 का उक्त आदेश, प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा जारी पूर्ववर्ती आदेश(ओं) का परिणामी संप्रेषण है और ये आदेश, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए, न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता(ओं) को एस्टोपल के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है, क्योंकि विद्वान न्यायालय ने एस.बी. समीक्षा याचिका पर निर्णय देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि पी.के. सिंह समिति की नियुक्ति याचिकाकर्ता(ओं) के आदेश पर की गई थी और इसलिए उक्त समिति द्वारा जारी परिणामों/रिपोर्ट को बाद में अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

25. डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 385/2017 (सुप्रा) में पारित दिनांक 30.05.2017 के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह कहा गया कि न्यायालय ने उक्त मामले पर निर्णय देते समय मामले के गुण/दोष पर कोई राय नहीं लिखी थी और सहमति आदेश पारित करने के तथ्य के संबंध में एकल पीठ के न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए निर्णय को निष्पक्ष रूप से बनाए रखा था।

26. इसी प्रकार, पुनर्विचार याचिका में खंडपीठ ने भी इस तथ्य के स्पष्टीकरण के संबंध में एक सीमित टिप्पणी की कि यदि याचिकाकर्ता/आवेदक व्यथित महसूस करते हैं, तो वे एफएसएल रिपोर्ट के विरुद्ध उचित कार्यवाही चुन सकते हैं और पारित किसी भी परिणामी आदेश को चुनौती दे सकते हैं। हालाँकि, उक्त एफएसएल रिपोर्ट को दी गई चुनौती के संबंध में मुकदमा आज की तारीख में उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

27. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017(4) एस.सी.सी 1 में रिपोर्ट किए गए; निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2016(7) एस.सी.सी 615 में रिपोर्ट किए गए; राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड एवं अन्य, ए.आई.आर 2011 एस.सी.डब्ल्यू 5656 में रिपोर्ट किए गए; एस.पी. चेंगलवर्या नायडू बनाम जगन्नाथ एवं अन्य, (1994) 1 एस.सी.सी 1 में रिपोर्ट किए गए और छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम धिरजो कुमार सेंगर, (2009) 13 एस.सी.सी 600 में रिपोर्ट किए गए, में निहित कथन पर भरोसा रखा था।

28. उपर्युक्त तर्कों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी, छल या छद्मवेश धारण करके अपराध में भाग लेने के अपराध से संबंधित मामला समाज और जनहित पर गंभीर और गंभीर प्रभाव डालता है। इसलिए, न्यायालयों को उक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और धोखाधड़ी से प्राप्त किसी भी उपाधि या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कोई न्यायसंगतता नहीं होनी चाहिए।

29. प्रतिवादी- कॉलेज/विश्वविद्यालय के विद्वान वकील श्री सैनी ने तर्क दिया कि कॉलेज की भूमिका नगण्य थी, बल्कि शून्य थी। अतः, उक्त प्रतिवादियों द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।

अवलोकन

30. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

30.1 यह कि याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता) दिनांक 24.05.2009 को निर्धारित आरपीएमटी, 2009 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों/एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते थे।

30.2 उक्त परीक्षा के समय याचिकाकर्ता(ओं) के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक और उनकी ओएमआर शीट पर लिए जा रहे थे, ताकि आगामी काउंसलिंग के समय उनका मिलान किया जा सके।

30.3 वर्ष 2011 में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि आरपीएमटी, 2009 में 16 अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, अर्थात् नकल करके परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद, जयपुर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

30.4 यह कि उक्त शिकायत/एफआईआर के आधार पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा 20.06.2009 को पाँच सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई थी। तत्पश्चात, उक्त पी.के. सिंह (आईपीएस) समिति ने 30.09.2009 के आसपास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि आरोपी छात्रों पर लगाए गए आरोप सत्य थे।

30.5 एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9952/2009 (सुप्रा) में पारित आदेश दिनांक 31.03.2011 के अनुसार यह राय व्यक्त की गई थी कि 16 अभ्यर्थियों/छात्रों तथा इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के प्रवेश रद्द/अस्वीकार कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उक्त अभ्यर्थियों ने नकल करके उक्त परीक्षा में भाग लिया था तथा उक्त अभ्यर्थियों को आवंटित सीटें प्रारम्भिक स्तर पर ही रद्द कर दी जानी चाहिए।

30.6 यह कि उक्त याचिका की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों और अव्यवस्थित आचरण के मामलों से निपटने के लिए नियमों के अध्यादेश 152 के अनुसरण में

याचिकाकर्ता(ओं) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा उनका उत्तर भी दिया गया था।

30.7 उक्त याचिका के परिणामस्वरूप, दिनांक 12.05.2011 के आदेश के अनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों और अव्यवस्थित आचरण के मामलों से निपटने के नियमों के अध्यादेश 152 का पालन करते हुए, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के उक्त अपराध में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/छात्रवृत्ति/प्रवेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था।

30.8 प्रवेश के उक्त निरस्तीकरण से व्यथित होकर याचिकाकर्ता(ओं) ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7222/2011 (सुप्रा) दायर की, तथापि, न्यायालय ने उक्त मामले पर निर्णय देते हुए एक सहमति आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि एफएसएल विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (उस समय प्रतीक्षित) याचिकाकर्ताओं के प्रतिकूल है, तो उसमें उल्लिखित आदेश अर्थात् वह आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं का प्रवेश रद्द किया गया था, प्रभावी हो जाएगा और प्रवेश को रद्द माना जाएगा और यदि उक्त रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के अनुकूल आती है, तो प्रवेश रद्द करने का विवादित आदेश अप्रभावी हो जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा।

30.9 उक्त निर्णय की दो स्तरों पर और भी आलोचना की गई, हालाँकि, उक्त अपीलें/समीक्षाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उक्त आदेश स्पष्ट शर्तों के तहत और पक्षों की सहमति प्राप्त करने के बाद पारित किया गया था। फिर भी, न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को दी गई सहमति के आधार पर आदेश को चुनौती देने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन उचित कार्यवाही द्वारा एफएसएल रिपोर्ट को चुनौती दी जा सकती है।

30.10 यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता(यों) ने पहले ही प्रभावी उपाय का लाभ उठा लिया है, अर्थात् आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी है, जो आज की तारीख में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

राय

31. अतः, वर्तमान मामले के उपर्युक्त अवलोकन पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

31.1 डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 385/2017 (सुप्रा) में पारित दिनांक 30.05.2017 के निर्णय के तहत, न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ताओं ने मूल आदेश का विरोध नहीं किया है, इसलिए, गुण-दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई। हालाँकि, उचित कार्यवाही के माध्यम से एफएसएल रिपोर्ट को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता(ओं) ने इसका लाभ उठाया है। सुविधा के लिए, उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"5. हमारी सुविचारित राय में, 2014 के पूर्व निर्णय के मद्देनजर, मूल आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और इसलिए, हमने समीक्षाधीन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सहमति ली थी, लेकिन इससे अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति हुई है।

6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, बिना नोटिस जारी किए, हम निम्नानुसार स्पष्ट करते हैं:-

i) यह स्वीकार किए बिना कि सहमति ली गई थी, पक्षकारों को किसी ऐसे मामले में नहीं डाला जा सकता है, जिससे आदेश को चुनौती देने का उनका अधिकार छिन जाए।

ii) इस दृष्टिकोण से, यदि सहमति दे दी गई है, तो भी अपीलकर्ता के लिए उचित कार्यवाही के माध्यम से फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को चुनौती देना खुला होगा।

7. उक्त कार्यवाही में सफलता मिलने पर, स्पष्टीकरण के बाद पारित परिणामी आदेश को चुनौती देने का भी विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, अपीलें समाप्त हो गई हैं।”

(जोर दिया गया)

31.1 यह नोट करना उचित है कि याचिकाकर्ता(ओं) के प्रवेश को रद्द करने के विवाद ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7248/2011 (सुप्रा) में पारित दिनांक 12.05.2011 के निर्णय और एस.बी. सिविल समीक्षा याचिका संख्या 222/2016 (सुप्रा) में पारित दिनांक 07.12.2016 के निर्णय के बदले में पहले ही अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। (उपर्युक्त निर्णयों के प्रासंगिक अंश पहले से ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए, उन्हें देखें) उक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, पी.के. सिंह समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में तैयार की गई राय पर विचार करते हुए और तत्काल विवाद के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-याचिकाकर्ता(ओं) को सभी परिणामी लाभों के साथ प्रदान किया गया प्रवेश रद्द कर दिया गया था।

31.2 यह सही कहा गया है कि दिनांक 17.11.2017 का आक्षेपित आदेश, प्रतिवादी-आरयूएचएस द्वारा दिनांक 12.05.2011 के न्यायिक आदेश के परिणामस्वरूप दिया गया एक परिणामी संचार

है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसी स्थिति में, जिसमें पूर्ववर्ती संचार या उस पर तैयार की गई कार्यवाहियों और रिपोर्टों पर आपत्ति नहीं की जाती है, यह न्यायालय उक्त आक्षेपित आदेश को रद्द करने के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता।

31.3 यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता(ओं) ने आज की तारीख में अपनी एमबीबीएस डिग्री प्राप्त कर ली होगी और यहां तक कि उन्होंने मास्टर्स या विशेषज्ञता की डिग्री के लिए आवेदन भी किया होगा या चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे होंगे, फिर भी, यह एक परिकलित जोखिम था और एकल पीठ के न्यायाधीश या डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार, याचिकाकर्ता(ओं) के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं बनाए गए हैं।

31.4 इसके साथ ही, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए छद्म नाम से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इसके अलावा, उक्त अध्ययन/व्यवसाय का महत्व और प्रासंगिकता हजारों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है, जो विभिन्न मुद्दों के लिए चिकित्सा सहायता चाहते हैं। इसके अलावा, एनएमसी/आईएमसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में तैयार की गई राय के अनुसार, उदाहरण के लिए, आशा बनाम पं. बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अन्य; सिविल अपील संख्या 5055/2012 (एसएलपी (सिविल) संख्या 7440/2012 से उत्पन्न) में यह स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार द्वारा प्राप्त योग्यता परीक्षा प्रक्रिया में उसके चयन का एकमात्र मानदंड होना चाहिए।

31.5 धोखाधड़ी, अनुचित साधनों और प्रथाओं का प्रयोग, छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी आदि जैसे जघन्य अपराध न केवल अन्य उम्मीदवारों की योग्यता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सभी इच्छुक उम्मीदवारों के मनोबल और इच्छाशक्ति को भी प्रभावित करते हैं। इस न्यायालय को ऐसे

अपराधों और उनके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का समर्थन करने का कोई कारण नहीं दिखता। वर्तमान मामले की समय-सीमा से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न न्यायालयों ने इस विवाद पर विचार करते हुए बार-बार गुण-दोष के आधार पर स्पष्ट टिप्पणियाँ की हैं और याचिकाकर्ताओं की सहमति भी दर्ज की है।

31.6 इसके अलावा, **निधि कैम (सुप्रा)** में दिए गए अनुपात पर भरोसा करते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में कोई समानता नहीं पाई जा सकती। अनुचित साधनों या धोखाधड़ी से संबंधित परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण हुए छात्रों को दिया गया प्रवेश एक गंभीर खतरा है, इसके अलावा, यदि

31.7 इसके अतिरिक्त, **निधि कैम (सुप्रा) - 2016 (7) एससीसी 615** में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा करते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब मामला सामूहिक धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के प्रयोग का हो, तो परीक्षा के दस वर्ष बीत जाने और विशेषज्ञता पूरी करने या सेवाएँ प्रदान करने के बाद भी प्रवेश/परिणाम रद्द करने का निर्णय उचित है। इसलिए, यह माना जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

31.8 **एस.पी. चेंगलवर्या नायडू (सुप्रा)** में दिए गए अनुपात पर भरोसा करते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धोखाधड़ी हर चीज़ को दूषित कर देती है। इसलिए, यह माना जाता है कि एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है, जैसा कि इस मामले में पी.के. सिंह समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित है, तो ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं निकाली जा सकती। उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“1. "धोखाधड़ी - सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक" इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने लगभग तीन शताब्दी पहले कहा था।

कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि अदालत के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया कोई भी निर्णय या डिक्री कानून की नज़र में अमान्य और ईमानदार होती है। ऐसा निर्णय/डिक्री - चाहे वह प्रथम न्यायालय द्वारा हो या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा - प्रत्येक न्यायालय द्वारा अमान्य मानी जानी चाहिए, चाहे वह उच्चतर हो या निम्नतर। इसे किसी भी न्यायालय में, यहाँ तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।”

(जोर दिया गया)

31.9 इसके अलावा, सचिव, आंध्र प्रदेश सामाजिक कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान बनाम पिंडिगा श्रीधर एवं अन्य (2007) 13 एस.सी.सी 352 में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि धोखाधड़ी किए जाने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जाना चाहिए।

“उच्च न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के सुयोग्य निर्णय को नकार दिया। अब तक, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक सीधे-सादे फॉर्मूले में लागू नहीं किया जा सकता। इसका अनुप्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत को बनाए रखने के लिए यह स्थापित करना होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वर्तमान मामले में, जिस तथ्य के आधार पर अपीलकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त प्रतिवादी की सेवाएँ समाप्त कीं, वह प्रतिवादी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था कि जब उसने दिनांक 6.5.1996 के आवेदन द्वारा अनुकंपा के आधार पर पद के लिए आवेदन किया था, तब उसकी माँ सेवा में थीं। इसी प्रकार, जब उसने दिनांक 22.11.2002 के

आदेश द्वारा नियुक्ति प्राप्त की, तब भी उसकी पत्नी 3.8.1997 से ग्रामीण विकास में विस्तार अधिकारी के रूप में सेवारत थीं और बाद में जब वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुआ था, उस समय मंडल परिषद विकास अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुई थीं। धोखाधड़ी हर जगह व्याप्त है। ऐसे स्वीकार किए गए तथ्यों के आधार पर, उसे कारण बताओ नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मत कि बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण हुई है, स्पष्ट रूप से गलत है। हमारे विचार से, इस मामले के प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर, प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। यदि प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता, तब भी वह अपने मामले में कोई सुधार नहीं कर पाता।”

(जोर दिया गया)

31.10 इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य बनाम धीरजो कुमार सेंगर (2009) 13 एस.सी.सी 600 में पारित निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है।

“प्रतिवादी ने संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए न केवल विभाग के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि संविधान के साथ भी धोखाधड़ी की है। चूँकि उनके द्वारा धोखाधड़ी करना स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है, इसलिए हमारी राय में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक नहीं था।”

(जोर दिया गया)

निष्कर्ष

32. अब तक की गई टिप्पणियों के सारांश में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि तात्कालिक मुद्दे का इतिहास विवादास्पद रहा है और कई याचिकाएं, अपीलें और समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें मुख्य रूप से याचिकाकर्ता(ओं) के सहमति आदेश पर राय दी गई है और यदि आवश्यक समझा जाए तो उक्त एफएसएल को चुनौती दी जा सकती है, फिर भी, उक्त निर्णयों में यह भी कहा गया है कि यदि अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर के संबंध में एफएसएल रिपोर्ट

याचिकाकर्ता(ओं) के खिलाफ है तो प्रवेश आदेश को रद्द करना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा; 20.04.2011 के आदेश के तहत मुकदमेबाजी के सबसे पहले दौर में यानी एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9952/2009 (सुप्रा) में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, और बाद में याचिकाकर्ता(ओं) ने 30.04.2011 को उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया है; यह कानून की स्थापित स्थिति है कि धोखाधड़ी हर चीज को खराब कर देती है, धोखाधड़ी होने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से पालन नहीं किया जाना चाहिए और धोखाधड़ी के आधार पर डिग्री/प्रवेश प्राप्त करने के मामले में समानता नहीं पाई जा सकती है; कि एफएसएल रिपोर्ट और पी.के. सिंह समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है; कि प्रतिवादी-आरयूएचएस ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधनों और अव्यवस्थित आचरण के मामलों से निपटने के लिए नियमों के अध्यादेश 152 के प्रावधानों का विधिवत पालन करते हुए 17.11.2017 का आदेश पारित किया, जो कि पूर्ववर्ती आदेशों/न्यायिक आदेशों का परिणामी संचार है, इसलिए इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि मौजूद नहीं है; कि याचिकाकर्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि प्रतिवादी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं, एक मिथ्या नाम है; कि याचिकाकर्ता उचित समय पर सफेद आदेशों का विरोध करने में विफल रहे हैं; कि निधि कैम (सुप्रा) - 2016 (7) एससीसी 615 में समाहित अनुपात के अनुसार न्यायालय धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त प्रवेश को एक दशक बीत जाने के बाद भी रद्द कर सकते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ प्रबल नहीं होती हैं।

33. उपर्युक्त के प्रकाश में, याचिकाओं का वर्तमान समूह किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। (निर्णय को यथोचित परिवर्तनों के आधार पर लागू किया जाएगा) लागत के रूप में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

(समीर जैन),जे

प्रीति असोपा /292-300

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate